ज़कात फ़ौण्डेशन आफ़ इण्डिया

www.zakatindia.org

यूपीए सरकार के लिए 20 सूत्रीय कार्ययोजना

अवधि जुलाई से दिसम्बर 2013 तक

(इन में हर एक काम 5-7 साल से लम्बित है)

आने वाले चुनाव में
मुसलमान इन मुद्दों को अपने सामने रखेंगे

1. आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए मुसलमानों के मुक़दमों की सुनवाई के लिए निश्चित समय सीमा के साथ फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट गठित की जाए।
(क़ानून मंत्रालय के लिए काम)
2. आतंकवाद के आरोप से अदालतों द्वारा बरी किए जाने वाले हर व्यक्ति 50 लाख रुपेय का मुआवज़ा भारपाई के लिए दिया जाए।
(गृह मंत्रालय का काम)
3. अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्ममुक्त किया जाए। संसद में एक सरल प्रस्ताव पारित करके 1950 के अध्यादेश में संशोधन किया जाए।
(सच्चर समिति के सुझाव अनुसार) (गृह मंत्राल का काम)
4. मुसलमानों की अधिसंख्या वाले उन चुनाव क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित जाति इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तुरन्त नया हदबन्दी आयोग

इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तुरन्त नया हदबन्दी आयोग गठित किया जाए जिसे स्पष्ट निर्देशों के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने का दायित्व सोंपा जाए। (सच्चर समिति के सुझाव के अनुसार)

(क़ानून मंत्रालय के लिए काम)

5. अधिकारिक पदों पर मुसलमानों को नामांकित करने के लिए कार्यविधि बनाई जाए। (सच्चर समिति, मिश्रा आयोग)

(काबीना सचिवालय तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व)

6. अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण में मुसलमानों का 67 प्रतिशत भाग निर्धारित किया जाए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73 प्रतिशत हैं। (मिश्रा आयोग रिपोर्ट) (क़ानून मंत्रालय)

7. प्रतिभाओं के विकास के कार्यक्रम (skill development programme) तथा अन्य आर्थिक अवसरों में मुसलमानों के लिए अलग से विशेष (अन्तरिम) बजट निर्धारित किया जाए। (हर्ष मंदर तथा अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट Promises to Keep के अनुसार)

(योजना आयोग, वित्त मंत्रालय)

8. अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम का बजट बढ़ा कर कुल योजना बजट के 19 प्रतिशत तक किया जाए (हर्ष मन्दर व अन्य विशेषज्ञों का सुझाव)

(अल्पसंख्यक मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय)

9. मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली ढांचागत योजनाओं तथा उनके क्रियान्वन के लिए ज़िला अथवा ब्लाक के बजाए नगरों में वार्ड को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को इकाई बनाया जाए। (हर्षमन्दर व अन्यों का सुझाव) (योजना आयोग)

10. 1400 अतिरिक्त आई.पी.एस अधिकारियों की विशेष भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एल.सी.ई) की नीति को समाप्त किया जाए, क्योंकि

इस विधि से मुसलमानों के लिए अवसर बन्द हो जाते हैं।

(मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सोनल, गृह मंत्रालय)

11. इण्डियन वक़्फ़ सर्विस गठित की जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह कई राज्यों में हिन्दू मन्दिरों, धर्मशालाओं तथा न्यासों के प्रबंधन के लिए राज्यों के क़ानून के अन्तर्गत सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती करती है। (सच्चर समिति)

(मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सोनल, अल्पसंख्यक मंत्रालय)

12. (क) वक़्फ़ विधियक में सच्चर समिति तथा संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) के सभी सुझावों को सम्मिलित किया जाए। (सच्चर समिति तथा जे.पी.सी.वक्फ़)

12. (ख) पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा मुख्यमंत्रियों को भेजे गए पत्र स. 71-PMO/76, March 26, 1976 पर कार्रवाई की जाए (इस की प्रति सच्चर समिति की रिपोर्ट में पेज 223 पर दी गयी है)। इसके अनुसार केन्द्र में यूपीए सरकार तथा राज्यों में कांग्रेस सरकारों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही वक़्फ़ सम्पत्तियों को मुक्त किया जए तथा उन्हें राज्य वक़्फ़ बोर्डों के नियंत्रण में दिया जाए। (सच्चर समिति रिपोर्ट, जे.पी.सी. वक़्फ़)

(प्रधानमंत्री कार्यालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय)

13. मदरसों के लिए बनाई गयी योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम) का प्रचार उर्दू तथा अन्य भाषाओं में किया जाए। इस के लिए हर साल जारी की जाने वाली 50 लाख रुपेय की ग्राण्ट उपयोग में नहीं लाई जाती है।

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

14. मदरसों की डिग्रियों को स्कूल व कालेजों की डिग्रियों के समानान्तर बनाया जाए। (सच्चर समिति)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

15. बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज मुक्त बैंकिंग का विकल्प शुरू किया जाए। योजना आयोग की कार्य विधि में सुधार के सुझाव देने के लिए गठित रघूराम राजन समिति के महत्वपूर्ण सुझावों को लागू किया जाए।

(योजना आयोग)

16. राज्यों में सेण्ट्रल उर्दू टीचर्स स्कीम के क्रियान्वन की निगरानी की जाए और जहां यह योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है वहां उसे क्रियान्वित कराया जाए। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

17. समान अवसर आयोग (ECO) का गठन किया जाए। इसकी रूप रेखा विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले ही तैयार कर चुकी है। (सच्चर समिति सुझाव) (अल्पसंख्यक मंत्रालय)

18. विविधता सूची पर आधारित छूट योजना (Scheme for Incentives based on Diversity Index) लागू की जाए। इसकी रूप रेखा भी भी विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले तैयार कर चुकी है। (सच्चर समिति सुझाव)

(अल्पसंख्यक मंत्रालय)

19. मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में तथा उनके क्रियान्वन की निगरानी में लाभार्थी वर्ग मुस्लिम समुदाय को शामिल किया जाए। (काबीना सचिव, अल्पसंख्यक मंत्रालय)

20. मुसलमानों में से चयनित व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के बजाए पूरे मुस्लिम समुदाय के सामूहिक हित को सुनिश्चित किया जाए।